Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 3 | SPECIAL ISSUE MARCH-2023

बाल श्रम और मानव अधिकार

नीतू चौहान | अतिथि शिक्षिका, समाजशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

ABSTRACT:

KEYWORDS:

आरम्भ से ही मानवीय सभ्य समाज की रक्षा करना मानव जाति का एक लक्ष्य रहा है । अलग–अलग समाजों में मानवता के विषय पर विभेद रहा है किन्तु मौलिक मानवीय अनिवार्यता सभी प्रकार के वाद – विवाद से परे रही है। समकालीन समाज में इन्हें मानवाधिकार कहा जाता ळें

अमरीकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776) तथा फ्रांस की क्रांति (1789) में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया गया था तथापि विभिन्न कालों में मानवाधिकारों को प्रदान करने में काफी भेदभाव रहा है। जन्म, लिंग, सामाजिक पदक्रम, सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत मूल्य, शासकीय या दैवीय शक्तियाँ मानवाधिकारों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है ।

कालांतर म द्वितीय विश्व युद्ध के वाद हिंसा को रोकने और विश्व के पुनर्निमाण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई । 10 दिसम्बर 1948 को सयुंक्त राष्ट्र संघ महासभा ने मानवाधिकारों का घोषणा पत्र पारित किया । मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घाषणा–पत्र के अन्तर्गत प्रस्तावना सहित कुल 30 अनुच्छेदों में वुनियादी नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो विश्व के प्रत्येक देश के हर नागरिक को प्राप्त होने चाहिए। 1950 में सयुंक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सक्रिय सदस्य है। मानवाधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा का भारतीय संविधान में प्रशंसनीय ढंग से उल्लेख किया गया है । मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र के छह दशकों के दौरान भारत में मानव के मौलिक अधिकारों में शिक्षा, जीविका, वैचारिक स्वतंत्रता, समानता, संगठन बनाने तथा स्वतंत्र रूप से धार्मिक विश्वास के

अधिकार के क्षेत्र में निश्चित ही वृद्धि हुई है लेकिन आज भी मानवाधिकारों का हनन जारी है। वास्तविकता में आज का मानव जीने के अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहा है। समाज में सम्मानजनक जीवन एवं समान अधिकारों के लिए गरीब वर्ग सदा संघर्ष करता रहा है । धनवल, बाहुबल, सामंतवाद, साम्राज्यवाद तथा राजनीतिक सत्ता का मद इस वर्ग को उसके अधिकारों से वंचित कर रहा है। मानवाधिकार के हनन की श्रृंखला में बाल–श्रम एक ऐसा ही अभिशाप है जिसके कारण दुनियाभर में लाखों बच्चे प्रतिदिन अपने बचपन को कुचलने के लिए मजबूर हैं। जिन बच्चों के हाथों में खिलौने, कागज–कलम, किताव, पेंसिल होनी चाहिए थी वे बच्चे गलियों और सडकों पर से कचरा बीनने, ढावों पर ग्राहकों को चाय – खाना पहुँचाने, वर्तन साफ करने, जूते पॉलिश करने, भवन निर्माण के कार्य, स्कूटर एवं कारों की मरम्मत एवं पंक्चर बनाने का कार्य करने, पटाखे, रसायन तथा बीड़ी बनाने के कारखानों में, विभिन्न देवी–देवताओं के नाम पर तेल और पैसे बटोरने, कुलीगिरी तथा फेरी लगाकर छोटी–मोटी जरूरत की चीजें बेचने, दरी– काँच उद्योग, हीरा – पॉलिश उद्योग आदि कई खतरनाक कार्यों में संलग्न हैं ।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे स्व–नियुक्त श्रमिकों के तौर पर या सिर्फ अवैतनिक पारिवारिक सहायकों की तरह काम करते हैं। जानवर चराने, कृषि कार्यों, गृह आधारित उद्यम जैसे बीड़ी, हथकरघा, दस्तकारी, कुम्हारी, कागज के लिफाफे, प्लास्टिक की वस्तुएँ वनाने और मत्स्य संसाधन जैसा काम करते हैं।

बच्चों की आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी विश्वव्यापी घटनाक्रम है । केवल गरीब और विकासशील देशों मे ही नहीं, तथाकथित विकसित और समृद्ध देशों में भी यह समस्या पाई जाती है, कारण स्पष्ट हैं, समृद्ध देश अभी तक गरीबी की समस्या से मुक्ति नहीं पा सके हैं । यह गरीब जनसंख्या कई बार रोजगार की तलाश में गांवो से

शहर आती है । जनसंख्या का गांवों से शहरों की ओर प्रवास नगरीकरण की जिन अनेक समस्याओं को जन्म देता है उसमें एक निवास की समस्या है जो नगरों में गंदी बस्तियों का आकार बढाती है । दूसरी समस्या रोजगार की है । समुचित कार्य के अभाव में गरीब किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं चाहे नाम मात्र का मेहनताना ही क्यों न मिल रहा हो। इसमें उनके शोषण के अवसर और बढ जाते हैं ।

इस रोजगार को तलाशती जनसंख्या में गरीब बच्चे (वालक व बालिकाएँ) तथा युवा शोषण के अधिक शिकार होते हैं । यह शोषण वाल श्रम, अपर्याप्त मजदूरी, प्रताड़ना, उपेक्षा, उत्पीड़न, तिरस्कार आदि के रूप में होता है। माता–पिता व बच्चों के बीच अस्वस्थ पारिवारिक सम्बन्ध समस्या को और उग्र करते हैं। इन सबका परिणाम यह होता है कि ऐसे बच्चे सडकों पर आ जाते हैं और अपनी जीवनचर्या और दिनचर्या का अधिकांश भाग सड़कों पर ही गुजार देते हैं या किसी न किसी रोजगार आर्थिक किया में संलग्न हो जाते हैं।

वस्तुतः प्राचीन समाजों में भी बच्चे विविध कार्यों में अपने परिजनों की सहायता करते थे लेकिन यह सहायता उनकी समाजीकरण की प्रकिया का हिस्सा थी । बालश्रम जिस रूप में हमें आज दिखाई देता है उसकी जड़ें औद्योगिक क्रांति के वाद विकसित समाज में देखी जा सकती हैं। उद्यमियों और फैक्ट्री मालिकों द्वारा सस्ता श्रम पाने की इच्छा ने इसे आगे बढाते हुए समस्या के रूप में विकसित करने में भूमिका निभाई। आज विश्व के लगभग सभी देशों विशेषकर विकासशील देशों में यह समस्या बहुत ही गम्भीर होती जा रही है ।

संयुक्त राष्ट्र वाल श्रम आयोग के अध्यक्ष **होमर फॉक्स** ने बाल श्रम की परिभाषा इस प्रकार की है ''वालको द्वारा किया जाने वाले हर कार्य जो उनके पूर्ण शारीरिक विकास में बाधक है, उन्हें शिक्षा का न्यूनतम स्तर भी ग्रहण नहीं करने देता और उनके लिए आवश्यक खेलने कूदने और मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं होने देता, बाल श्रम हैं । ''(श्रम अन्वेषण समिति, मुख्य रिपोर्ट, 1946)

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार "बाल श्रमिक वे वालक हैं जो स्थायी तौर पर वयस्कों की तरह जीवन जी रहे ह, कम मजदूरी पर कई–कई घण्टे ऐसी कार्य दशाओं में कार्य करते हैं जिनसे उनका स्वास्थ्य खराव होता है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास रूक जाता है । इस कार्य के कारण कभी–कभी तो उन्हें अपने परिजनों से दूर भी रहना पडता है तथा प्रायः वे उस सार्थक शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी अवसरों से वंचित रह जाते हैं जिनके कारण उनके बेहतर भविष्य के'' रास्ते खुल सकते हैं। " (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन, 1989:04)

भारतीय संविधान के अनुसार वह बालक जो 14 वर्ष से कम आयु का है और पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, वाल श्रमिक कहलाएगा। (इग्नू, 1993: पृ. सं. 08)

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का श्रमिक वाल श्रमिक है ।

इस प्रकार ऐसा प्रत्येक कार्य जिसे बालक लाभ प्राप्त करने के लिए करता है, बाल श्रम के अन्तर्गत आता है। यद्यपि घरेलु कार्यों में लगे बच्चों को और पारिवारिक कृषि कार्यों में संलग्न बच्चों को कोई मजदूरी नहीं मिलती, परन्तु उनके कार्य से उनकी वचपन की गतिविधियों जैसे :– शिक्षा और मनोरंजन में बाधा जरूर पडती है। अतः

बाल श्रमिक की परिभाषा में वेतन पाने वाले और न पाने वाले दोनों कार्यों को सम्मिलित किया जाता ह।

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने बाल श्रमिकों के कार्यों को घरेलू अवैतनिक कार्य (छोटे भाई– बहिनों की देखभाल, खाना पकाना, सफाई करना, कपडे धोना, पानी भरकर लाना आदि), गैर घरेलू अवैतनिक कार्य (पशुओं की देखभाल, पशु–पक्षियों से फसल की सुरक्षा, मत्स्य पालन, मधुमक्खी– पालन आदि), मजदूरी का कार्य (शिल्पकारी उत्पादन, लघु उद्योग, उत्पादन, व्यापार विनिर्माण,नौकरी–पेशों में संलग्न, भोजनालयों, कवाडी, फेरी वाले, अखवार बेचने के कार्यों में संलग्न) तथा बंधुआ मजदूर (विना वेतन या बहुत मामूली वेतन के बदले कार्य करना ताकि माता – पिता द्वारा लिए गए ऋण की वसूली हो सके) के रूप में वर्गीकृत किया है।

आर्थिक कार्यों में संलग्न वाल श्रमिक संगठित और असंगठित दोनो ही क्षेत्रों में कार्यरत हैं । संगठित क्षेत्र में वे श्रमिक आते हैं जो बड़े कारखाने और संस्थानो में काम करते हैं और जहाँ श्रमिकों को रोजगार एक तय कार्यप्रणाली के अनुसार दिया जाता है। श्रमिकों का रोजगार स्थायी होता है। काम के घण्टे विश्राम, छुट्टियाँ, स्वास्थ्य और सुरक्षा सम्वन्धी कई नियमों का पालन कारखाना अधिनियम (1948) तथा औद्योगिक विवाद कानून (1947) के अन्तर्गत होता है । इसके अलावा न्यूनतम वेतन अधिनियम, वोनस भुगतान अधिनियम, प्रोविडेन्ट फंड अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी श्रमिकों को सुरक्षा और सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं ।

इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में सभी दैनिक मजदूर ठेका मजदूर, होटल कारखानों के मजदूर तथा स्व–रोजगारों के उद्योगों (छोटे दुकानदार, कुशल दस्तकार, बढ़ई, मैकेनिक इत्यादि अपना काम खुद करते हैं, अकुशल श्रमिक जैसे :– कुली या फिर गृह आधारित श्रमिक) में लगे श्रमिक शामिल हैं। इस क्षेत्र में कोई तय कार्यप्रणाली नहीं है न ही कोई कानून है जिनके अनुसार श्रमिकों की नियुक्ति या काम की शर्तों को परिभाषित किया गया हो । न्यूनतम वेतन अधिनियम, समान वेतन अधिनियम तथा सेवा मजदूर नियंत्रण तथा उन्मूलन अधिनियम आदि कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो इस क्षेत्र के मजदूरों पर लागू होते हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि वाल श्रमिक चाहे संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में, उनका शारीरिक, आर्थिक व भावनात्मक शोषण तो होता ही है, उनके शिक्षा पाने और व्यक्तित्व विकास के अवसर भी अवरूद्ध हो जाते हैं। शर्मा (1997 : 84) ने उनके शोषण के विभिन्न पक्षों को तालिका में श्रेणीबद्ध किया जो निम्न है :–

तालिका : बाल श्रमिकों के शोषण के स्वरूप एवं प्रकार

क्र.सं.	आधार	शोषण के स्वरूप एवं प्रकार		
1	पारिश्रमिक	कम मजदूरी का भुगतान	कोई भुगतान नहीं	पारिवारिक ऋण/अग्रिम का किश्तवार समायोजन
2	कार्यविधि	पूर्णकालिक	अंशकालिन	निर्धारित कार्यवधि से काफी अधिक
3	स्वतन्त्रता	पूर्ण स्वतन्त्रता	सीमित स्वतन्त्रता	बंधुआ
4	उत्पादन कार्य परिसर	घर से अलग मालिक कार्य परिसर	मालिक के घर में उत्पादन कार्य करना	मजदूनरों द्वारा अपने घर का कार्य करना।
5	नियोजन	प्राइवेट मालिक के अधीन	पारिवारिक नियोजन	ठेकेदार/एजेन्ट के अधीन
6	सेक्टर (उत्पादन क्षेत्र)	प्राथमिक (कृषि)	द्वितीयक (औद्योगिक)	तृतीयक (घरेलू नौकर, होटल, दुकान, गैरेज आदि में सेवायें देना।)
7	संगठनात्मकता	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र	अर्द्ध संगठित क्षेत्र
8	कार्य का जोखिम	गैर जोखिमपूर्ण	कम जोखिमपूर्ण	अति जोखिमपूर्ण
9	मजदूरी भुगतान	टाईम–रेट (मासिक/साप्ताहिक)	पीस रेट (मात्रा/संख्या)	.....
10	कार्य के अतिरिक्त शोषण	शारीरिक	मानसिक	यौन शोषण

सभी देशों की सरकारें बाल श्रम के परिणामों की गम्भीरता से परिचित हैं। इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाये गये हैं । उदाहरण के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा की। सन् 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य तथा युद्ध पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिये अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं जिनमें बाल श्रमिक भी आते हैं। पर्यटन के विकास से बालिकाओं के यौन शोषण में वृद्धि पर भी अनेक देशों का ध्यान गया है।

बाल श्रम की गम्भीरता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व की बाल श्रम जनसंख्या का 30 प्रतिशत वाल श्रम भारत में पाया जाता है। जहां सरकारी आंकडों के अनुसार भारत में 2 करोड़ बाल श्रमिक विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं वहीं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के अध्ययन के अनुसार भारत में बाल जनसंख्या (लगभग 39.11 करोड) का 14 प्रतिशत (लगभग 5. 48 करोड) जो कि 5–14 वर्ष आयु वर्ग के हैं वाल श्रम में संलग्न हैं। भारत में सर्वप्रथम 1881 में कारखाना अधिनियम में बाल श्रमिकों की आयु, काम के घण्ट, काम की प्रकृति आदि पर ध्यान दिया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान में विशेष रूप से अनुच्छेद 20 से 54 तक में बच्चों पर ध्यान दिया गया है। इनमें निम्न अनुच्छेद विशेष रूप से बाल श्रम से

जुडे हैं :–

बाल श्रम से सम्बन्धित संवैधानिक एवं विशेष कानूनी प्रावधान

संविधान का अनुच्छेद 24 :– 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक व्यवसायों में लगाने पर प्रतिबन्ध।

सविधान का अनुच्छेद 39 (ड):– सरकार द्वारा अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करना कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता मजबूर होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो ।

संविधान का अनुच्छेद 39 (च) :– सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें उपलब्ध हो तथा बालकों की शोषण से रक्षा हो ।

संविधान का अनुच्छेद 45 :– 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना ।

संविधान का अनुच्छेद 21 (क) :– संविधान के 86 वें संशोधन, 2000 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है ।

इनके अलावा बाल श्रम से सम्बन्धित आयोग व समितियां समय–समय पर गठित की गई हैं। उनमें से कुछ निम्न हैं:–

बाल श्रम पर आयोग एवं अधिनियम

1. रॉयल कमीशन ऑफ लेबर (1929)
2. राष्ट्रीय बाल बोर्ड (1975)
3. बाल श्रम पर गुरूपद स्वामी आयोग (1979)
4. श्रम जांच समिति (1981)
5. बाल श्रमिक तकनीकी परामर्शदात्री समिति (1987)
6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993)
7. राष्ट्रीय श्रम आयोग
8. बाल श्रम पर शांता मेहता समिति
9. हरबंस सिंह समिति
10. सिंघवी समिति

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवम्बर, 1989 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बच्चों के

अधिकार सम्बन्धी समझौतो में चार प्रकारों का उल्लेख किया है ।

1. जीने का अधिकार (अनुच्छेद 6)
2. विकास का अधिकार (अनुच्छेद 6)
3. सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 19)
4. सहभागिता का अधिकार (अनुच्छेद 12)

जीने के अधिकार के अन्तर्गत बच्चों के सुचित पोषाहार का, मानवोचित जीवन–स्तर उपयोग करने का तथा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति का अधिकार सम्मिलित हैं ।

विकास के अधिकार के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं (यथा अकाल वाढ युद्ध आदि) के दौरान बच्चों को सामाजिक सुरक्षा, वचपन में समुचित देखभाल, मनोरंजन, सुमचित शिक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार सम्मिलित हैं ।

सुरक्षा का अधिकार के अन्तर्गत वच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा, चोर, अपमान, उपेक्षा, दुर्व्यवहार तथा शोषण से सुरक्षा प्रदान करना हैं।

सहभागिता के अधिकार के अन्तर्गत बच्चों के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान, अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता, विवेक और धर्म के प्रति सम्मान तथा अभियुक्त बच्चों का अधिकार सम्मिलित हैं।

भारत में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली तथा महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद उन संस्थानों में से हैं जो श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं और उनके जीवन के विविध पक्षों पर अनेक अध्ययन करवाते रहे हैं। इनमें बाल श्रमिकों के हुए विभिन्न अध्ययन भी शामिल हैं।

निएलसेन (2002) ने ग्रामीण भारत में वाल श्रम के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि गृहस्थी के बढ़े हुए खर्च तथा माता – पिता की शिक्षा का निम्न स्तर वाल श्रमिको की बढती हुई संख्या और बच्चों के स्कूल न जाने की प्रवृति के लिए जिम्मेदार कारक माने जा सकते हैं ।

विजय भास्कर (2000) ने तिरुपुर की सूती बुनाई उद्योग में बाल श्रम के आयामों के अध्ययन में पाया कि वे अकुशल व्यवसायों में रत हैं और कुशल कारीगरों के वेतन के आधे से भी कम दर से भुगतान प्राप्त करते हैं ।

एम. वी. फाउण्डेशन की चेयर पर्सन **शांता सिन्हा** ने अपने फाउण्डेशन की ओर से करवाए गये एक सर्वेक्षण के आधार पर बताया है कि कपास के खेतों में काम करने वाले मजदूरों में जहां श्रमिक बालिकाऐं महीने में 29.4 दिन सवैतनिक कार्य करती हैं, स्त्रियाँ 22.2 दिन तथा पुरुष 18.6 दिन। जहां तक परिवार की आमदनी में योगदान की बात है परिवार की कुल आय में लडकियों का भाग 28.7 प्रतिशत महिलाओं का 28.3 प्रतिशत तथा पुरूषों का 42.8 प्रतिशत होता है । इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि खेत मालिक स्कूलों में जाकर लड़कियों को काम करने आने को प्रेरित करते हैं उन्हें अच्छा काम करने पर उपहार देते हैं और खाली समय में लोकप्रिय फिल्में दिखाने की व्यवस्था करते हैं । वहां यह मिथक फैलाया जाता है कि बालिकाओं के स्पर्श से कपास की पैदावार में वृद्धि हाती है ताकि लडकियों को काम करने को प्रेरित किया जा सके ।

कलाइबेरिया में फायरस्टोन टायर और रवर कंपनी एक रवड वृक्षारोपण का कार्य करती है। कम्पनी में काम करने वाले श्रमिक वृक्षारोपण के कार्य को पूरा करने के लिए अपने साथ अपने बच्चों को लाने के लिए मजबूर हैं अन्यथा कार्य समय पर न किए जाने की एवज मे श्रमिकों को आधा मेहनताना ही मिल पाएगा। वाल श्रमिकों और उनके अभिभावकों की ओर से मुकदमा किए जाने पर न्यायाधीश ने फायरस्टोन के प्रस्ताव को खारिज करने से इन्कार कर दिया ।

निष्कर्ष :

वर्तमान समय में मानव अधिकार मनुष्य मात्र की न्यूनतम आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं। मानव अधिकारों का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और अभी तक उसके सभी पक्षों पर कानूनी आधार या समर्थन नहीं मिल पाया है । उनके प्रति विभिन्न वर्गों में संवेदनशीलता भी अभी अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाई है। संयक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में भी कई सवाल उठाए गए हैं जो कि विश्व की उन एक अरव भूखी, कुपोषित, बीमार, लाचार, बेरोजगार व निर्धन जनसंख्या के बारे में हैं जो समाज के हाशिये पर खडी है। मानवाधिकारों के विश्वव्यापी विषय पर संयुक्त राष्ट्र व मानवतावादी सावभौमिक घोषणा–पत्र पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है । मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की दिशा में गांधी जी ने जो प्रयास किए उन पर विश्व के सभी देशों को मिलकर गहनता से विचार – विमर्श करना होगा तभी हर मनुष्य के लिए बुनियादी मानवाधिकार सुनिश्चित किए जा सकते हैं ।

बाल– श्रम जैसी जटिल समस्या का समाधान भी समाज के केवल एक वर्ग द्वारा नहीं खोजा जा सकता है बल्कि जिस परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर उस देश की सरकार और सम्पूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह वाल श्रम को जारी रखना चाहता हैं अथवा उसका उन्मूलन करना चाहता है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना (1919) के 93 वर्ष पश्चात् भी बाल श्रम जैसी महामारी का वने रहना इस संगठन के बुनियादी उद्देश्यों को ही चुनौती देता है, जिनमें कहा गया था कि राष्ट्र श्रम कोई वस्तु विनिमय की चीज नहीं है ।

आर्थिक इतिहासकार ह्यूग क्यूननइंघम, 1500 के बाद से पश्चिमी समाज में बच्चे और बचपन के लेखक हैं, उनके शब्दो में उदधृत :

"पचास साल पहले यह अनुमान लगाया गया कि, जैसे वाल श्रम विकसित देशों में उन्नीसवी सदी के अंत और वीसवीं शताब्दी के शुरू में कम हो गया, उसी तरह घटते क्रम में शायद बाकी दुनिया में भी कम हो जाए। ऐसा सोचना असफल सावित हुआ और यह विकसित दुनिया में फिर से उभरा और किसी भी अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका के बारे में सवाल उठा दिए, चाहे वह अर्थ व्यवस्था राष्ट्रीय हो या वैश्विक ।

REFERENCES

1. श्रम अन्वेषण समिति, मुख्य रिपोर्ट, 1946
2. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन, (1989:04)
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मानविकी विद्यापीठ (1993)
4. भारत में सामाजिक समस्याएँ, ESO– 06, खण्ड 3, 5, नई दिल्ली
5. शर्मा सुभाष (1997), भारत में बाल मजदूर, नई दिल्ली, प्रकाशन संस्थान
6. निल्सेन, एच.एस. एण्ड अमरेश दुबे (2002), चाईल्ड लेबर इन रूरल ईण्डिया : ए माइक्रो– इकोनोमिक प्रोसपेक्टिव इण्डियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनोमिक्स, वीओएल. 45, नम्बर 2, पीपी 476–496
7. भास्कर एम. विजय (2002), ''डाईमेनशन ऑफ चिल्ड्रनस वर्क इन द कॉटन निटवियर इण्डस्ट्री इन त्रिरूपुर'', इण्डियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनोमिक्स, वीओएल. 45, नम्बर 2, पीपी 561 – 576
8. ह्यूग क्यूननइंघम, "इंग्लैण्ड में बच्चों का रोजगार और बेरोजगारी, 1680 से 1851," अतीत और वर्तमान, फरवरी, 1990